डिस्कलेमर

आदेश संख्या 08/2021-22 में संशोधन : जिसके पृष्ठ 1 से 5 तक का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/सीआईएएल/सीपी- IV/2025-26

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

Airports Economic Regulatory Authority of India

*****

आदेश संख्या 08/2021-22 में संशोधन

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली-110003.

जारी करने की तारीख: 28.11.2025

दिनांक 24 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 08/2021-22 में संशोधन- कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू मौजूदा टैरिफ वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही अर्थात 1 जनवरी, 2026 से 31 मार्च 2026 तक के लिए जारी रखना।

1. पृष्ठभूमि

1.1 भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने दिनांक 24 अगस्त 2021 के आदेश संख्या 08/2021-22 द्वारा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि (सीआईएएल) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित की थी।

1.2 इस संदर्भ में, प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश में 2621.70 करोड़ रुपये (एनपीवी शर्तों में) की कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। परंतु कोविड-19 के प्रभाव के कारण, प्राधिकरण ने सभी हितधारकों के हित में उचित वैमानिक टैरिफ बनाए रखने के लिए एआरआर के 11.22%, यानी 294.12 करोड़ रुपये (एनपीवी शर्तों में), को चतुर्थ नियंत्रण अवधि में आगे बढ़ाया था।

1.3 अनुमोदित टैरिफ दर कार्ड के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुलग्नक I में दर्शाए अनुसार लैंडिंग प्रभार, पार्किंग और रात्रि पार्किंग प्रभार, प्रयोक्ता विकास शुल्क, एयरोब्रिज प्रभार, इन-लाइन एक्स-रे स्क्रीनिंग प्रभार और कार्गो सेवा टैरिफ निर्धारित की गई थी। अनुमोदित टैरिफ दर कार्ड से यह देखा जा सकता है कि नियंत्रण अवधि की अंतिम तिमाही अर्थात 01.01.2026 से 31.03.2026 तक के लिए वैमानिक प्रभार निम्नलिखित कारणों से वित्त वर्ष 2025-26 की पूर्व की तिमाहियों की तुलना में थोड़े कम स्तर पर बनाए रखे गए थे:

(i) पूर्व की नियंत्रण अवधि के दौरान यह देखा गया था कि हवाईअड्डा प्रचालक उत्तरवर्ती नियंत्रण अवधि के लिए अपने टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) बहुत देर से प्रस्तुत करते हैं, यहां तक कि नियंत्रण अवधि शुरू हो जाती है। इस कारण से विनियामक को उत्तरवर्ती नियंत्रण अवधि के लिए पिछली तिमाही के टैरिफ को तब तक जारी रखना पड़ता था जब तक कि प्राधिकरण हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी के आधार पर नियमित टैरिफ को अंतिम रूप नहीं दे देता। जब बाद की नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) कम होता है, तो इसकी वजह से अति-वसूली हो जाती है। इससे आगामी नियंत्रण अवधि के लिए समग्र टैरिफ ढाँचा विकृत हो गया। इस प्रकार, हवाईअड्डा प्रचालक को आगामी नियंत्रण अवधि के लिए बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नियंत्रण अवधि के पाँचवें वर्ष की अंतिम तिमाही में टैरिफ को थोड़ा कम स्तर पर रखा गया।

(ii) ऐरा ने तृतीय नियंत्रण अवधि में हवाईअड्डा प्रचालक के यातायात अनुमानों को मान लिया था। कोचीन क्षेत्र में यातायात में तीव्र वृद्धि की संभावना को देखते हुए, यह आशा की गई थी कि कोचीन हवाईअड्डे पर वास्तविक यातायात और उससे संबंधित वैमानिक राजस्व तृतीय नियंत्रण अवधि के अनुमानों से अधिक होगा। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए किसी भी संभावित अति-वसूली से बचने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही में टैरिफ को थोड़ा कम करके युक्तिसंगत बनाया गया था।

2. हवाईअड्डा प्रचालक की प्रस्तुति

2.1 कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सीआईएएल) ने अपने दिनांक 14.11.2025 के पत्र संख्या सीआईएएल/वित्त/ऐरा/एमवाईटीपी/सीपी4/2 के माध्यम से प्राधिकरण से यह अनुरोध किया कि वित्त वर्ष 2025-26 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ को दिसंबर 2025 तक लागू स्तर पर बनाए रखा जाए, इसके लिए निम्नलिखित औचित्य दिया गया:

(i) **अधिक पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) अपेक्षा**: सीआईएएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि में अनुमानित अवसंरचना जरूरतों और यातायात में भविष्य में होने वाली वृद्धि का समर्थन करने के लिए 3981 करोड़ रूपए के अधिक पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है।

(ii) **तृतीय नियंत्रण अवधि में वास्तविक यातायात अनुमोदित अनुमान से कम है:** कोविड-19 से आशा से कम वसूली के कारण सीआईएएल का वास्तविक यातायात अनुमान से कम बना हुआ है, जिस कारण से तृतीय नियंत्रण अवधि में वैमानिक राजस्व कम हुआ है। मौजूदा टैरिफ स्तर बनाए रखने से तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कम वसूली को घटाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप, चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) पर असर कम होगा।

(iii) **प्रचालन दक्षता:** टैरिफ संशोधन को सीमित करने से बिलिंग और समाधान प्रक्रियाओं को आसान करके प्रचालनात्मक दक्षता को बढाया जा सकेगा।

(iv) **चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए समय पर टैरिफ निर्धारण:** सीआईएएल ने समय पर टैरिफ निर्धारण के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए अपना एमवाईटीपी 29.10.2025 को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

3. प्राधिकरण का विश्लेषण

3.1 सीआईएएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) के लिए अपना एमवाईटीपी 29 जुलाई, 2025 को प्रस्तुत किया। ऐरा ने हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी की जांच करने के लिए पहले ही एक स्वतंत्र परामर्शदाता मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त कर दिया है।

3.2 प्रारंभिक जांच और स्वतंत्र परामर्शदाता (मैसर्स पीडब्ल्यूसी) द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण नोट करता है कि:

(i) **एमवाईटीपी समय पर प्रस्तुत करना :** सीआईएएल ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2027-31) के लिए एमवाईटीपी पहले ही 29 अक्तूबर, 2025 को अर्थात् चतुर्थ नियंत्रण अवधि प्रारंभ होने से लगभग 4 माह पहले समय पर प्रस्तुत कर दिया है।

(ii) **चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए उच्चतर कैपेक्स का प्रस्ताव:** सीआईएएल ने पार्किंग बे, टी3 पिर के उत्तरी हिस्से के विकास, टी1 का विस्तार करने और उससे जुड़े एयरसाइड कार्य, एयरसाइड परियोजनाओं, आईटी परियोजनाओं आदि के लिए 3981 करोड़ रुपये के कैपेक्स का अनुमान लगाया है। इस बड़े कैपेक्स प्रस्ताव की अभी ऐरा और ऐरा द्वारा नियुक्त किए गए स्वतंत्र टैरिफ परामर्शदाता द्वारा समीक्षा की जा रही है।

(iii) **राजस्व पर कम असर के साथ कम यात्री यातायात:** तृतीय नियंत्रण अवधि (2021-26) के दौरान सीआईएएल का वास्तविक यातायात, तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश में अनुमोदित किए गए अनुमानों से लगभग 7.00% कम रहेगा। यह कमी मुख्य रूप से कोविड-19 के कारण है, जिससे यात्री मांग काफी कम हो गई और परिणामस्वरुप उपर्युक्त अवधि के लिए वैमानिक राजस्व कम हो गया।

3.3 ऐरा द्वारा 24.08.2021 को जारी तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ दर कार्ड के अनुसार, सीआईएएल ने तृतीय नियंत्रण अवधि तक काफी बड़ी मात्रा में कम वसूली की गणना की है, जैसा कि उनके एमवाईटीपी की प्रस्तुति में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा इसकी जांच की जा रही है। उपर्युक्त पैरा 3.2 (ii) और 3.2 (iii) में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि में यदि 31 दिसंबर 2025 को लागू (अनुलग्नक I के अनुसार) वैमानिक प्रभार (लैंडिंग प्रभार, पार्किंग और रात्रि पार्किंग प्रभार, प्रयोक्ता विकास शुल्क, एयरोब्रिज प्रभार, इन-लाइन एक्स-रे स्क्रीनिंग प्रभार और कार्गो सेवा टैरिफ) को 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक की चतुर्थ तिमाही के लिए भी बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तो कम वसूली और वहन लागत वास्तव में कम हो जाएगी। इससे चतुर्थ नियंत्रण अवधि (2027-31) के एआरआर पर भार कम हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरुप आगामी चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए हवाईअड्डे के प्रभारों को कम किया जा सकेगा, क्योंकि हवाईअड्डा प्रचालक ने चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) का प्रस्ताव दिया है। एमवाईटीपी में उपलब्ध जानकारी और उसके बाद के स्पष्टीकरणों पर आधारित स्वतंत्र परामर्शदाता के प्रारंभिक विश्लेषण के आधार पर भले ही वित्त वर्ष 2025-26 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) के लिए वैमानिक टैरिफ को दिसंबर, 2025 तक लागू टैरिफ के स्तर पर बनाए रखा जाए, तब भी अधिक वसूली की कोई संभावना नहीं होगी क्योंकि वसूली वास्तव में कम होगी।

प्राधिकरण दिनांक 24.08.2021 के टैरिफ आदेश संख्या 08/2021-22 के पैरा 15.4 का भी संज्ञान लेता है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

……

15.4 तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026) के अंतिम वर्ष में टैरिफ में कमी

15.4.1 प्राधिकरण ने टैरिफ में वृद्धि करने और यूडीएफ के रूप में अतिरिक्त प्रभारों के लिए सहमति दी है, लेकिन साथ ही उसका मानना है कि विमानन क्षेत्र में सुधार और कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था के ठीक हो जाने के कारण कम पूंजीगत अपेक्षाएं और अधिक यात्री आधार के संदर्भ में बाद की नियंत्रण अवधि में स्थिति बेहतर होगी। इसलिए, बाद की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ दरें कम रहने की उम्मीद है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण ने तृतीय नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2026 की अंतिम तिमाही में टैरिफ दरों में कमी की है, जो निम्नलिखित कारकों के कारण चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण किए जाने तक भी जारी रह सकती है:

(क) सभी हितधारकों के लाभ के लिए क्रमिक कमी के बजाय अगली अवधि (चतुर्थ नियंत्रण अवधि) से शुरू होने वाली टैरिफ में अचानक सुधार को रोकना।

(ख) ऐरा द्वारा अतीत में उन परिस्थितियों में देखी गई कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए, जहां आगामी नियंत्रण अवधि में टैरिफ में महत्वपूर्ण कमी की उम्मीद थी और कुछ हितधारकों की टैरिफ निर्धारण में विलंब करने की कार्यनीति अपनाने की प्रवृत्ति थी।

(ग) प्राधिकरण ने हवाईअड्डे के यातायात और वित्तीय अनुमानों के संबंध में रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाया है (हवाईअड्डा प्रचालक के अनुमानों से काफी हद तक सहमत है) और इसका मानना है कि वास्तविक वसूली बेहतर होने की संभावना है, जिससे तृतीय नियंत्रण अवधि के अनुमानों की तुलना में अधिक राजस्व वसूली होगी।

(घ) साथ ही, तृतीय नियंत्रण अवधि के अंतिम वर्ष (वित्त वर्ष 2026) की द्वितीय छमाही तक, चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया अच्छी तरह से चल रही होगी। इसलिए, प्राधिकरण वर्तमान अनुमानों के साथ वास्तविक वसूलियों का उचित रूप से मिलान कर सकेगा और चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऐरा की टैरिफ निर्धारण की कार्य-प्रणाली के अनुसार उपयुक्त निर्णय लिए जा सकेंगे।

……"

3.4 सीआईएएल के एमवाईटीपी की प्रस्तुति से यह पता चलता है कि बढ़ती यात्री माँग को पूरा करने के लिए चतुर्थ नियंत्रण अवधि में भारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवश्यक है, साथ ही, यह भी पता चला है कि तृतीय नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक यातायात, तृतीय नियंत्रण अवधि के टैरिफ आदेश में अनुमोदित यातायात से कम था। इस कारण से तृतीय नियंत्रण अवधि में अनुमानित वैमानिक राजस्व की तुलना में कम वैमानिक राजस्व हुआ।

3.5 उपर्युक्त के मद्देनजर, चतुर्थ नियंत्रण अवधि में भारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के साथ-साथ वहन लागत में कमी को पर्याप्त रूप से आगे ले जाने के कारण टैरिफ में वृद्धि की संभावना है। इसलिए, आगामी नियंत्रण अवधि के लिए कम वसूली को कम करने और यात्रियों के हित में टैरिफ को संतुलित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही, अर्थात 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक, के लिए भी 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू लैंडिंग प्रभार, पार्किंग और रात्रि पार्किंग प्रभार, प्रयोक्ता विकास शुल्क, एयरोब्रिज प्रभार, इन-लाइन एक्स-रे स्क्रीनिंग प्रभार और कार्गो सेवा प्रभार (अनुलग्नक I के अनुसार) को बनाए रखने का निर्णय लेता है (क्योंकि कार्गो सेवा हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा की जा रही है और इससे आने वाला 100% राजस्व एयरो राजस्व के रूप में माना जाता है), ताकि कम वसूली और उसकी वहन लागत में कमी के कारण यात्रियों पर बोझ कम हो और टैरिफ में भारी वृद्धि के बिना सुचारू रूप से पारगमन हो सके।

4 आदेश

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण उपर्युक्त पैरा 3 में दिए गए विस्तृत कारणों/विश्लेषण के आधार पर एतद्द्वारा, निम्नानुसार निर्णय लेता है:

4.1 हवाईअड्डा प्रचालक को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोच्चि में 01.04.2025 से 31.12.2025 तक लागू दरों (अनुलग्नक I के अनुसार) पर वैमानिक प्रभार (लैंडिंग प्रभार, पार्किंग और रात्रि पार्किंग प्रभार, प्रयोक्ता विकास शुल्क, एयरोब्रिज प्रभार, इन-लाइन एक्स-रे स्क्रीनिंग प्रभार और कार्गो सेवा प्रभार) वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही, अर्थात 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक, के लिए लगाने और एकत्र करने की अनुमति दी जाती है।

4.2 01.01.2026 से 31.03.2026 की अवधि के लिए जारी टिकटों के लिए संशोधित यूडीएफ दरें नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा एआईसी जारी करने के बाद ही लागू होंगी।

4.3 अन्य सभी प्रभार और शर्तें दिनांक 24 अगस्त, 2021 के आदेश संख्या 08/2021-22 के तहत अनुमोदित किए अनुसार यथावत रहेंगी।

4.3 हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,
श्री एस सुहास, आईएएस
प्रबंध निदेशक,
कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,
एर्णाकुलम – 683 111, केरल-भारत

प्रतिलिपि :

1. सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन,सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली – 110 003
2. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) : एआईसी जारी करने के लिए